न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	प्रकरण संख्या 348/2025 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26-9-25	कान्ता देवी कोली बनाम केसर पत्नी लादू बोला वगैरहा	

पत्रावली पेश हुई। विपक्षीगण को रजिस्टर्ड ए0डी0 प्रोसेस नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01 से लगायत 05 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं। विपक्षी संख्या 01 से लगायत 05 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाकर जवाब बन्द किया जा चुका है। प्रकरण में प्रार्थीया की ओर से अधिवक्ता श्री भीमराज कोली हाजिर होकर एकतरफा बहस हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार कर एकतरफा बहस करने का आदेश दिया गया, मैंने अधिवक्ता द्वारा की गई बहस को एक तरफा सुना। अधिवक्ता प्रार्थीया ने दौराने बहस निवेदन किया कि ग्राम गोविन्द सिंह जी का खेडा, पटवार हल्का दान्थल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र दांथल तहसील व जिला भीलवाडा में आराजी नम्बर 1556/1074 रकबा 0.8852 हैक्टेयर भूमि स्थित है।

उक्त वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकार्ड में विपक्षी संख्या 01 से लगायत 05 एवं प्रार्थीया के नाम पर शामलाती दर्ज है। उक्त आराजी में प्रार्थीया का 1/2 हक हिस्सा निहित होकर, हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। वादग्रस्त आराजियात का विभाजन नहीं होने से भूमि को उपजाऊ बनाने एवं लगान जमा कराने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पडता है तथा प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 01 से लगायत 05 के मध्य आये दिन विवाद होता रहता है। इसलिये विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा फरमाई जाना आवश्यक है।

मैंने वकील प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान कांश्तकारी अधिनियम, 1955 का अवलोकन किया। दस्तावेजात् नकल जमाबन्दी, प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र का अवलोकन किया। मनन किया। वादग्रस्त आराजियात शामलाती आराजियात होने से प्रार्थीया द्वारा विभाजन हेतु वाद विचाराधीन होकर प्रार्थीया एवं विपक्षी के मध्य विभाजन हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी गई है। प्रकरण में विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

वकील प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का अस्वीकार किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा